भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 995

जिसका उत्तर शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

न्यायलयों में लंबित मामले

995. श्री मद्दीला गुरुमूर्ति :

श्री सुशील कुमार सिंह :

श्री नामा नागेश्वर राव :

डॉ. तालारी रंगैय्या :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निचली अदालतों, उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय सहित विभिन्न अदालतों में दस वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या सहित कुल लंबित मामलों की संख्या का न्यायालय-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन मामलों की सूची क्या है जिनमें केंद्र सरकार एक पक्ष है और सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा अनावश्यक मुकदमेबाजी में कमी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) अधिकरणों में लम्बित मामलों का अधिकरण-वार ब्यौरा क्या है ;

(घ) पिछले तीन वर्षों में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और उन्हें भरने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं ;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान फास्ट ट्रैक न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों का ब्यौरा क्या है ; और

(च) पूरे देश में लंबित मामलों के तेजी से निपटान के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : भारत के उच्चतम न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, 15.07.2022 तक भारत के उच्चतम न्यायालय में दस वर्षों से अधिक समय तक लंबित मामलों की संख्या 10,486 है । उच्च न्यायालय और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में दस वर्षों

से अधिक समय तक लंबित मामलों की संख्या क्रमशः **उपाबंध-1 और उपाबंध-2** में है ।

(ख) और (ग) : ऐसे मामलों की सूची जिनमें एक पक्षकार संघ की सरकार है **उपाबंध-3** में है ।

सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा अनावश्क मुकदमेबाजी में कमी सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में, यह कहा जाता है कि रेलवे और राजस्व विभाग जैसे मंत्रालयों और विभागों, जो बड़ी संख्या में मुकदमेबाजी में शामिल हैं, न्यायालीय मामलों की संख्या को कम करने के लिए कई उपाय कर रही हैं । रेल मंत्रालय ने सभी स्तरों पर न्यायालयीय मामलों की प्रभावी मानीटरिंग करने के लिए अनुदेश जारी किया है । क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों को उन मामलों की संख्या को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा गया है जिसमें सरकार एक पक्षकार है और न्यायालयों के बोझ को कम करने के लिए सभी न्यायालयों में सभी मामलों को शीघ्रता से अंतिम रुप देने और न्यायालयीय मामलों को लड़ने में खर्च में कटौती करने को कहा । इसे प्राप्त करने के लिए, अधिवक्ताओं को समय पर जवाब, प्रतिउत्तर और आवश्यक दस्तावेज जमा करना सुनिश्चित करने के अतिरिक्त, उच्चतम स्तर पर संक्षिप्तीकरण और आवश्यक निदेश देने के लिए पैनल में शामिल अधिवक्ताओं के साथ नियमित बैठकें करके मामलों की प्रभावी निगरानी पर जोर दिया गया है ।

राजस्व विभाग के अधीन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने मुकदमेबाजी और न्यायालय पर परिणामी भार को कम करने के लिए कई निदेश जारी किए हैं और बहुत से उपाय किए हैं । जबकि सीबीडीटी ने फील्ड आफीसरों को निदेश देते हुए परिपत्र जारी किया है कि विनिर्दिष्ट सीमा के नीचे कर प्रभाव के साथ आय कर अपीलीय अधिकरणों/ उच्च न्यायालयों/ उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित अपीलों को वापस लिया जा सकता है, और इस प्रक्रिया में उच्च मांग मुकदमों पर अधिक ध्यान देना आसान हो जाएगा । सीबीडीटी ने फील्ड आफीसरों को यह भी स्पष्ट किया है कि अपील केवल इसलिए नहीं फाइल की जानी चाहिए कि किसी विशेष मामले में कर प्रभाव विहित मौद्रिक सीमा से अधिक है और अपील फाइल करने का निर्णय वाद के गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए ।

इसी प्रकार से, सीबीआईसी के अधीन फील्ड फार्मेशन को उच्च न्यायालयों/ सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में लंबित अपीलों को वापस लेने के निदेश दिए गए जहां उच्चतम न्यायालय ने समरुप मामलों में निर्णय दिया है । इसके अतिरिक्त, सीबीआईसी ने अपने फील्ड फार्मेशन को अपील में आगे नहीं लड़ने का निदेश दिया जहां मुद्दा अपील के दो स्तरों में असफल रहा हो । तथापि, यह निर्णय लिया गया कि किसी मामले में यह अनुभव किया जाता है कि मामला आगे की अपील के लिए उपयुक्त है, तब क्षेत्रीय मुख्य आयुक्त के न्यायोचित्य और अनुमोदन पर, तीसरी बार अपील फाइल की जा सकती है । साथ ही, फील्ड फार्मेशन को केवल उन्हीं एसएलपी प्रस्तावों को अग्रेसित करने का निदेश दिया जाता है जहां विधि का सारवान प्रश्न या घोर विकृति या साक्ष्य के मूल्यांकन में अनियमितता का मुद्दा अंतर्ग्रस्त हो । इस दिशा में, सीबीडीटी और सीबीआईसी दोनों अपील फाइल करने के लिए मौद्रिक सीमा भी बढ़ा दी है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार हैः

सीबीडीटीः

अपील फाइल करने के लिए	मौद्रिक सीमा
आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष	50 लाख रूपए
उच्च न्यायालय के समक्ष	1 करोड़ रूपए
उच्चतम न्यायालय के समक्ष	2 करोड़ रूपए

सीबीआईसीः

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवाकर से संबंधित मामलों में अपील फाइल करने के लिए मौद्रिक सीमा			सीमा-शुल्क से संबंधित मामलों में अपील फाइल करने के लिए मौद्रिक सीमा		
सीईएसटीएटी के समक्ष	उच्च न्यायालय के समक्ष	उच्चतम न्यायालय के समक्ष	सीईएसटीएटी के समक्ष	उच्च न्यायालय के समक्ष	उच्चतम न्यायायल के समक्ष
50 लाख रुपए	1 करोड़ रूपए	2 करोड़ रूपए	5 लाख रुपए	10 लाख रुपए	25 लाख रुपए

भारत संघ के मुकदमे की मानीटरी करने के प्रयोजन से, एक वेब-प्लेटफार्म अर्थात् लीगल इन्फारमेशन मैनेजमेंट और ब्रीफिंग सिस्टम (एलआईएमबीएस) वर्ष 2016 में बनाया गया था । एप्लीकेशन में मौजूदा तकनीकी अंतराल को दूर करने के लिए एलआईएमबीएस संस्करण-2 वर्ष 2019 में लांच किया गया । एलआईएमबीएस संस्करण 2 का विजन भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में मुकदमेबाजी की मानीटरी के लिए एक समकालिक व्यवस्था की स्थापना के साथ साथ भारत सरकार

के मुकदमेबाजी के लिए एकल मंच होना है । विधि सचिव, डी ओ पत्र तारीख 20.11.2020 द्वारा तारीख 16.03.2021 और 09.07.2021 के अनुस्मारक, के माध्यम से प्राधिकरणों के अध्यक्ष और संबंधित मंत्रालय/विभागों के सचिवों के साथ एपीआई के माध्यम से विभिन्न अधिकरणों और (एलआईएमबीएस) संस्करण 2 के डाटा के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मामले रखे गए हैं ।

वर्तमान में, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण और विद्युत अपीलीय अधिकरण ने अपने डाटाबेस को एलआईएमबीएस संस्करण 2 के साथ एपीआई लिंक प्रदान किया है । इसके अतिरिक्त, रेलवे दावा अधिकरण, आयकर अपीलीय अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण के मामलों के डाटाबेस के साथ त्वरित गति से एकीकरण की परिकल्पना की गई है ।

अंतर मंत्रालयी/विभागीय विवादों के समाधान के लिए वैकल्पिक तंत्र भी ऐसे विवादों के समाधान को संस्थागत तंत्र प्रदान करता है, अर्थात् विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र (एएमआरडी) यह विधि कार्य विभाग द्वारा तैयार किया गया और ओ.एम तारीख 31.03.2020 को परिचालित किया गया था । यह तंत्र, कराधान विवादों से भिन्न विवादों को लागू होगा, न्यायलय में मुकद्मेबाजी को कम करेगा और न्यायालय प्रणाली से बाहर के मामलों का समाधान करेगा, जहां दोनों पक्षों सरकारी, विभाग है या जहां एक पक्ष सरकारी विभाग है और अन्य इसके परिकरण, (सी पी एस ई /बोर्ड/ प्राधिकरण, आदि) है ।

केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों साथ ही, और केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों और सरकारी विभागों/ संगठनों के बीच वाणिज्यिक विवादों का समाधान करने के लिए पूर्वतम मध्यस्थता की स्थायी मशीनरी के स्थान पर नई स्कीम, अर्थात् सी पी एस ई विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र (एएमआरडी) लोक उद्यम विभाग द्वारा विकसित किया गया जो 22.05.2018 से प्रभावी किया गया ।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनयम, 2015 अन्य बातों के साथ पूर्व-संस्था मध्यस्थता और निपटान (पी आई एम एस) तंत्र के लिए 2018 में संशोधित किया गया था । इस तंत्र के अधीन पक्ष जो 3 लाख रुपये और उससे अधिक के विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद की विषय वस्तु में किसी तत्काल अंतरिम अनुतोष पर विचार नहीं करता है तो, न्यायालय में पहुचने के पहले उसे विधिक सेवा प्राधिकरणों अधिनियम,1987 के अधीन गठित प्राधिकारियों द्वारा संचालित पी आई एम एस के उपाय को समाप्त करना होगा ।

अधिकरण में लंबित मामलों का विवरण केन्द्रीयकृत वेब पोर्टल अर्थात् राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे टी जी) पर नही रखा जाता है । इसके अतिरिक्त, भारत के उच्चतम न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अधिकरण में लंबित मामलों से संबंधित डाटा रजिस्ट्री में नहीं रखा जाता है । तथापि, विधिकार्य विभाग से प्राप्त् जानकारी के अनुसार जो आयकर अपीलीय अधिकरण (आई टी ए टी) के प्रशासक है 01.07.2022 तक आई टी ए टी में 47940 अपीले लंबित हैं ।

(घ) : पिछले तीन वर्षों में, राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र में उच्चतम न्यायालयों और संपूर्ण उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का विवरण उपाबंध-4 पर दिया गया है ।

उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को भरना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगी प्रक्रिया है । इसके लिए राज्य और केन्द्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है । उच्च न्यायलयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या न्यायाधीशों की पदोन्नति के कारण और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के कारण उद्भूत हुई रिक्तियों को शीघ्रता भरने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाता है ।

(ङ) : पिछले तीन वर्षों के दौरान त्वरित निपटान न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों का विवरण **उपाबंध-5** पर दिया गया है ।

(च) : न्यायपालिका के लिए अवसंरचना प्रसुविधाओं के विकास, का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है । राज्य सरकारों के संसाधनों का संवर्धन करने के लिए, संघ सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को विहित निधि सहभाजन के प्रतिरुप में वित्तीय सहायता प्रदान करके, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना प्रसुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय रुप से प्रायोजित स्कीम का क्रियान्वयन कर रही है । यह स्कीम वर्ष 1993-94 से क्रियान्वित की जा रही है ।

यह स्कीम जिला और अधीनस्थ न्यायापालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और आवासीय वास-सुविधाओं के सन्निर्माण कवर करती है । सरकार ने 9000 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ उपरोक्त स्कीम को 2021-22 – 2025-26 के लिए विस्तारित कर दिया है, जिसमें 5307 करोड़ रुपये का केन्द्रीय अंश भी सम्मिलित है । स्कीम जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में वकीलों के हॉल के सन्निर्माण, हॉल, डिजिटल कंम्प्यूटर कक्षों, और शौचालय परिसर को भी कवर करती है । राज्य सरकार द्वारा स्कीम के विद्मान मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार शर्तों को पूरा करने के पश्चात् स्कीम के अधीन निधियां जारी की जाती है । राज्य के संबंध में जारी बजटीय आबंटन स्कीम के अधीन किया जाता है । न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय रुप से प्रयोजित स्कीम के

अधीन क्रमशः वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान आर ई चरण पर निधियों 982.00 करोड, 593.00 और 770.44 करोड रुपये की रकम आबंटित की गई थी । पिछले तीन वर्षें के लिए जारी स्कीम के अधीन राज्यवार विवरण **उपाबंध-6** ।

****

उपाबंध-1

न्यायालयों में लंबित मामले संबंधी लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 995 जिसका उत्तर 22.07.2022 को दिया जाना है के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	09.07.2022 तक 10 वर्ष से अधिक लंबित मामलों की संख्या
1.	उच्च न्यायालय इलाहाबाद	396014
2.	उच्च न्यायालय कलकत्ता	81644
3.	उच्च न्यायालय गुवाहटी	1638
4.	उच्च न्यायालय तेलगाना	42511
5.	उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश	42313
6.	उच्च न्यायालय बम्बई	142964
7.	उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़	4736
8.	उच्च न्यायालय दिल्ली	13050
9.	उच्च न्यायालय गुजरात	18730
10.	उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश	2939
11.	उच्च न्यायालय जम्मु-कश्मीर और लद्दाख	5907
12.	उच्च न्यायालय झारखंड	16957
13.	उच्च न्यायालय कर्नाटक	53103
14.	उच्च न्यायालय केरल	26963
15.	उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश	100908
16.	उच्च न्यायालय मणिपुर	831
17.	उच्च न्यायालय मेघालय	1
18.	उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा	101682
19.	उच्च न्यायालय राजस्थान	98122
20.	उच्च न्यायालय सिक्किम	1
21.	उच्च न्यायालय त्रिपुरा	0
22.	उच्च न्यायालय उत्तराखंड	2327
23.	उच्च न्यायालय मद्रास	116728
24.	उच्च न्यायालय ओडिशा	33363
25.	उच्च न्यायालय पटना	29880
	कुल	**1333312**

स्रोतः नेशनल डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

उपाबंध-2

न्यायालयों में लंबित मामले संबंधी लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 995 जिसका उत्तर 22.07.2022 को दिया जाना है के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

क्र.सं.	राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्रों के नाम	19.07.2022 तक 10 वर्ष से अधिक लंबित मामलों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार समूह*	--
2.	आंध्र प्रदेश	8448
3.	तेलगाना	11153
4.	अरुणाचल प्रदेश*	--
5.	असम	5638
6.	बिहार	579415
7.	चंडीगढ़	209
8.	छत्तीसगढ़	1247
9.	दादरा और नागर हवेली	106
10.	दमण और दीप	84
11.	दिल्ली	12728
12.	गोवा	2626
13.	गुजरात	145106
14.	हरियाणा	3145
15.	हिमाचल प्रदेश	3494
16.	जम्मु-कश्मीर	9282
17.	झारखंड	45166
18.	कर्नाटक	44574
19.	केरल	13308
20.	लद्दाख	3
21.	लक्षदीव*	--
22.	मध्य प्रदेश	18354
23.	महाराष्ट्र	347544
24.	मणिपुर	255
25.	मेघालय	1622
26.	मिजोरम	45
27.	नागालैंड	123
28.	ओडिशा	234216
29.	पंजाब	2388
30.	राजस्थान	85884
31.	सिक्किम	3
32.	तमिलनाडु	52042
33.	पांडुचेरी	1897
34.	त्रिपुरा	1358
35.	उत्तर प्रदेश	1456356
36.	उत्तराखंड	5325
37.	पश्चिमी बंगाल	488272
कुल		**3581416**

***अंदमान और निकोबार दीव, अरुणाचल प्रदेश और लक्ष्यदीव राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों पर आकड़े (एनजेडीजी) के बेवपोर्टल पर उपलब्ध नहीं है ।**

उपाबंध-3

न्यायालयों में लंबित मामले संबंधी लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 995 जिसका उत्तर 22.07.2022 को दिया जाना है के भाग (ख) और भाग(ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

क्र.सं.	उच्च न्यायालयों के नाम	लंबित मामलों जिनमें संघ सरकार एक पक्षकार है **(31.05.2022** तक**)**
1.	उच्चतम न्यायालय भारत	उपलब्ध नहीं है
2.	उच्च न्यायालय इलाहाबाद	उपलब्ध नहीं है
3.	उच्च न्यायालय कलकत्ता	उपलब्ध नहीं है
4.	उच्च न्यायालय गुवाहटी	746
5.	उच्च न्यायालय तेलंगाना	3294**
6.	उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश	2552
7.	उच्च न्यायालय बंम्बई	1118
8.	उच्च न्यायालय उत्तीसगढ़	2032
9.	उच्च न्यायालय दिल्ली	14117*
10.	उच्च न्यायालय गुजरात	3680
11.	उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश	2528
12.	उच्च न्यायालय जम्मु-कश्मीर और लद्दाख	उपलब्ध नहीं है
13.	उच्च न्यायालय झारखंड	412
14.	उच्च न्यायालय कर्नाटक	399
15.	उच्च न्यायालय केरल	12002
16.	उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश	13173
17.	उच्च न्यायालय मणिपुर	35
18.	उच्च न्यायालय मेघालय	26
19.	उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा	17602
20.	उच्च न्यायालय राजस्थान	859
21.	उच्च न्यायालय सिक्किम	20
22.	उच्च न्यायालय त्रिपुरा	138
23.	उच्च न्यायालय उत्तराखंड	77
24.	उच्च न्यायालय मद्रास	उपलब्ध नहीं है
25.	उच्च न्यायालय ओडिशा	उपलब्ध नहीं है
26.	उच्च न्यायालय पटना	6172

*** 28.02.2022 के अनुसार**

** 2018 **से लंबित**

उपाबंध-4

न्यायालयों में लंबित मामले संबंधी लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.995 जिसका उत्तर 22.07.2022 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की मंजूर पद संख्या, कार्यरत पद संख्या और रिक्तियों को दर्शित करने वाला विवरण।

(14.07.2022 के अनुसार)

क्र.सं.		मंजूर पद संख्या			कार्यरत पद संख्या			रिक्तियां		
क	उच्चतम न्यायालय	34			32			2		
ख	उच्च न्यायालय	स्था.	अति.	कुल	स्था.	अति.	कुल	स्था.	अति.	कुल
1.	इलाहाबाद	119	41	160	79	12	91	40	29	69
2.	आंध्र प्रदेश	28	9	37	24	0	24	4	9	13
3.	बंबई	71	23	94	46	9	55	25	14	39
4.	कलकत्ता	54	18	72	36	10	46	18	8	26
5.	छत्तीसगढ़	17	5	22	8	4	12	9	1	10
6.	दिल्ली	46	14	60	46	1	47	0	13	13
7.	गुवाहाटी	18	6	24	16	6	22	2	0	2
8.	गुजरात	39	13	52	28	0	28	11	13	24
9.	हिमाचल प्रदेश	13	4	17	9	0	9	4	4	8
10.	जम्मू कश्मीर और लद्दाख	13	4	17	12	3	15	1	1	2
11.	झारखंड	20	5	25	20	1	21	0	4	4
12.	कर्नाटक	47	15	62	37	7	44	10	8	18
13.	केरल	35	12	47	28	9	37	7	3	10
14.	मध्य प्रदेश	39	14	53	33	0	33	6	14	20
15.	मद्रास	56	19	75	48	10	58	8	9	17
16.	मणिपुर	4	1	5	3	0	3	1	1	2
17.	मेघालय	3	1	4	3	0	3	0	1	1
18.	उड़ीसा	24	9	33	22	0	22	2	9	11
19.	पटना	40	13	53	37	0	37	3	13	16
20.	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	40	6	46	24	15	39
21.	राजस्थान	38	12	50	28	0	28	10	12	22
22.	सिक्किम	3	0	3	3	0	3	0	0	0
23.	तेलंगाना	32	10	42	27	0	27	5	10	15
24.	त्रिपुरा	4	1	5	4	0	4	0	1	1
25.	उत्तराखंड	9	2	11	7	0	7	2	2	4
	कुल	**836**	**272**	**1108**	**644**	**78**	**722**	**192**	**194**	**386**

(01.01.2021 के अनुसार)

		मंजूर पद संख्या			कार्यरत पद संख्या			रिक्तियां		
क	उच्चतम न्यायालय	34			30			04		
ख	उच्च न्यायालय	स्था.	अति.	कुल	स्था.	अति.	कुल	स्था.	अति.	कुल
1	इलाहाबाज	120	40	160	82	14	96	38	26	64
2	आंध्र प्रदेश	28	09	37	18	0	18	10	09	19
3	बम्बई	71	23	94	49	15	64	22	08	30
4	कलकत्ता	54	18	72	32	02	34	22	16	38
5	छत्तीसगढ़	17	05	22	13	01	14	04	04	08
6	दिल्ली	45	15	60	30	0	30	15	15	30
7	गुवाहटी	18	06	24	17	03	20	01	03	04
8	गुजरात	39	13	52	29	0	29	10	13	23
9	हिमाचल प्रदेश	10	03	13	09	0	09	01	03	04
10	जम्मु-कश्मीर और लद्दाख	13	04	17	11	0	11	02	04	06
11	झारखंड	19	06	25	17	0	17	02	06	08
12	कर्नाटक	47	15	62	26	20	46	21	-05	16
13	केरल	35	12	47	30	07	37	05	05	10
14	मध्य प्रदेश	40	13	53	29	0	29	11	13	24
15	मद्रास	56	19	75	52	10	62	04	09	13
16	मणिपुर	04	01	05	04	01	05	0	0	0
17	मेघालय	03	01	04	04	0	04	-01	01	0
18	ओडिशा	20	07	27	15	0	15	05	07	12
19	पटना	40	13	53	22	0	22	18	13	31
20	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	42	11	53	22	10	32
21	राजस्थान	38	12	50	23	0	23	15	12	27
22	सिक्किम	03	0	03	03	0	03	0	0	0
23	तेलगाना	18	06	24	14	0	14	04	06	10
24	त्रिपुरा	04	0	04	04	0	04	0	0	0
25	उत्तराखंड	09	02	11	08	01	09	01	01	02
	कुल	**815**	**264**	**1079**	**583**	**85**	**668**	**232**	**179**	**411**

(01.01.2020 के अनुसार)

		मंजूर पद संख्या			कार्यरत पद संख्या			रिक्तियां		
क	उच्चतम न्यायालय	**34**			**33**			**01**		
ख	उच्च न्यायालय	**स्था.**	**अति.**	**कुल**	**स्था.**	**अति.**	**कुल**	**स्था.**	**अति.**	**कुल**
1	इलाहाबाद	76	84	160	67	40	107	09	44	53
2	आंध्र प्रदेश	28	09	37	15	0	15	13	09	22
3	बम्बई	71	23	94	55	15	70	16	08	24
4	कलकत्ता	54	18	72	22	18	40	32	0	32
5	छत्तीसगढ़	17	05	22	11	04	15	06	01	07
6	दिल्ली	45	15	60	36	0	36	09	15	24
7	गुवाहटी	18	06	24	15	06	21	03	0	03
4	गुजरात	39	13	52	27	0	27	12	13	25
9	हिमाचल प्रदेश	10	03	13	09	01	10	01	02	03
10	जम्मु-कश्मीर और लद्दाख	13	04	17	08	0	08	05	04	09
11	झारखंड	19	06	25	17	02	19	02	04	06
12	कर्नाटक	47	15	62	19	21	40	28	-06	22
13	केरल	35	12	47	27	05	32	08	07	15
14	मध्य प्रदेश	40	13	53	31	0	31	09	13	22
15	मद्रास	56	19	75	46	09	55	10	10	20
16	मणिपुर	04	01	05	04	0	04	0	01	01
17	मेघालय	03	01	04	03	0	03	0	01	01
18	ओडिशा	20	07	27	14	0	14	06	07	13
19	पटना	40	13	53	26	0	26	14	13	27
20	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	38	17	55	26	04	30
21	राजस्थान	38	12	50	21	0	21	17	12	29
22	सिक्किम	03	0	03	03	0	03	0	0	0
23	तेलगाना	18	06	24	12	01	13	06	05	11
24	त्रिपुरा	04	0	04	03	0	03	01	0	01
25	उत्तराखंड	09	02	11	09	01	10	0	01	01
	कुल	**771**	**308**	**1079**	**538**	**140**	**678**	**233**	**168**	**401**

(01.01.2019 के अनुसार)

		मंजूर पद संख्या			कार्यरत पद संख्या			रिक्तियां		
क	उच्चतम न्यायालय	**31**			**26**			**05**		
ख	उच्च न्यायालय	**स्था.**	**अति.**	**कुल**	**स्था.**	**अति.**	**कुल**	**स्था.**	**अति.**	**कुल**
1	इलाहाबाद	76	84	160	61	48	109	15	36	51
2	आंध्र प्रदेश	28	09	37	14	0	14	14	09	23
3	बम्बई	71	23	94	53	18	71	18	05	23
4	कलकत्ता	54	18	72	19	17	36	35	01	36
5	छत्तीसगढ़	17	05	22	08	07	15	09	-02	07
6	दिल्ली	45	15	60	39	0	39	06	15	21
7	गुवाहटी	18	06	24	14	05	19	04	01	05
4	गुजरात	39	13	52	27	0	27	12	13	25
9	हिमाचल प्रदेश	10	03	13	08	0	08	02	03	05
10	जम्मु-कश्मीर और लद्दाख	13	04	17	09	0	09	04	04	08
11	झारखंड	19	06	25	14	05	19	05	01	06
12	कर्नाटक	47	15	62	21	12	33	26	03	29
13	केरल	35	12	47	31	07	38	04	05	09
14	मध्य प्रदेश	40	13	53	35	0	35	05	13	18
15	मद्रास	56	19	75	41	20	61	15	-01	14
16	मणिपुर	04	01	05	03	0	03	01	01	02
17	मेघालय	03	01	04	03	0	03	0	01	01
18	ओडिशा	20	07	27	14	0	14	06	07	13
19	पटना	40	13	53	22	06	28	18	07	25
20	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	46	07	53	18	14	32
21	राजस्थान	38	12	50	25	0	25	13	12	25
22	सिक्किम	03	0	03	03	0	03	0	0	0
23	तेलगाना	18	06	24	13	0	13	05	06	11
24	त्रिपुरा	04	0	04	03	0	03	01	0	0
25	उत्तराखंड	09	02	11	09	0	09	0	02	02
	कुल	**771**	**308**	**1079**	**535**	**152**	**687**	**236**	**156**	**392**

उपाबंध-5

राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन संबंधी लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.995 जिसका उत्तर 22.07.2022 को दिया जाना है,के भाग (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान त्वरित निपटान न्यायाल (द्वारा निपटाए गए मामले)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2019 में निपटाए गए मामले	2020 में निपटाए गए मामले	2021 में निपटाए गए मामले	31.05.2022 तक निपटाए गए मामले
1	आंध्र प्रदेश, अमराबती	5456	1177	312	130
2	असम	3173	2615	3780	3450
3	बिहार	14595	1759	1603	0
4	छत्तीसगढ़	9392	2877	5324	2271
5	दिल्ली	19841	393	223	245
6	गुजरात	14318	462	37102	1652
7	गोवा	0	130	59974	2855
8	हरियाणा	23348	825	899	162
9	हिमाचल	9388	0	5	153
10	जम्मु और कश्मीर	0	27	391	15
11	झारखंड	6244	624	861	1332
12	कर्नाटक	11722	210	2051	810
13	केरल	27872	217	2333	962
14	मध्य प्रदेश	18732	1	0	0
15	महाराष्ट्र	59279	63470	114254	30390
16	मणिपुर	541	45	73081	80
17	मेघालय	0	0	11	0
18	मिजोरम	130	179	1758	66
19	नागालैंड	89	3	3	0
20	ओडिशा	6664	0	234	304
21	पंजाब	24854	85	471	86
22	पांडुचेरी	126	0	0	0
23	राजस्थान	22346	0	32	0
24	सिक्किम	114	5	5	6
25	तमिलनाडु	18083	9389	7865	9436
26	तेलगाना	5044	1525	2849	2033
27	त्रिपुरा	1399	100	347	272
28	उत्तर प्रदेश	329345	148466	86013	114019
29	उत्तराखंड	6215	170	215	108
30	पश्चिमी बंगाल	7753	5202	3172	7952
	कुल	**646063**	**239956**	**405168**	**178789**

उपाबंध-6

राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन संबंधी लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.995 जिसका उत्तर 22.07.2022 को दिया जाना है,के भाग (च) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन राज्य-वार जारी की गई राशि और राज्य सरकारों द्वारा रिपोर्ट किए गए व्यय का विवरण।

क्र.सं.	राज्य	2019-20 में जारी	2019-20 के दौरान जारी की गई निधियों के लिए उपयोग की गई निधियां	2020-21 में जारी	2020-21 के दौरान जारी की गई निधियों के लिए उपयोग की गई निधियां	2021-22 में जारी	2021-22 के दौरान जारी की गई निधियों के लिए उपयोग की गई निधियां
1	आंध्र प्रदेश	20.00	20.00	10.28	7.46	0.00	0.00
2	बिहार	87.62	87.62	65.72	3.32	0.00	0.00
3	छत्तीसगढ़	19.83	19.83	7.84	7.84	0.00	0.00
4	गोवा	4.06	4.06	3.80	3.80	3.20	3.20
5	गुजरात	16.49	16.49	13.50	7.25	0.00	0.00
6	हरियाणा	14.06	14.06	22.00	0.00	0.00	0.00
7	हिमाचल प्रदेश	5.72	1.45	5.50	0.00	0.00	0.00
8	जम्मू कश्मीर	10.00	10.00				
9	झारखण्ड	13.74	13.74	9.05	9.05	6.00	6.00
10	कर्नाटक	44.04	44.04	29.72	0.00	27.00	0.00
11	केरल	15.82	15.82	13.00	13.00	50.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	66.90	66.90	45.60	45.60	55.00	55.00
13	महाराष्ट्र	61.09	61.09	23.11	23.11	18.00	17.90
14	उड़ीसा	35.69	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
15	पंजाब	39.78	39.78	16.48	16.48	16.50	16.50
16	राजस्थान	64.21	64.21	29.90	29.90	41.50	41.50
17	तमिलनाडु	38.71	38.71	18.17	18.17	35.66	0.00
18	तेलंगाना	5.65	5.65	16.00	14.00	0.00	0.00
19	उत्तराखंड	28.50	28.50	5.86	0.00	80.00	0.00
20	उत्तर प्रदेश	169.66	169.66	111.00	111.00	219.00	118.50
21	पश्चिमी बंगाल	61.43	54.77	31.07	0.00	0.00	0.00
	योग (क)	**823.00**	**794.78**	**477.60**	**309.97**	**551.86**	**258.60**
	पूर्वोत्तर राज्य						
1.	अरुणाचल प्रदेश	2.69	2.69	5.00	5.00	4.09	0.93
2.	असम	36.54	36.54	25.00	25.00	27.40	0.00
3.	मणिपुर	9.66	4.00	5.00	2.68	0.00	0.00
4.	मेघालय	22.85	22.85	7.71	7.71	28.02	28.02
5.	मिजोरम	5.24	5.24	5.00	5.00	9.50	4.50
6.	नागालैंड	3.42	3.42	5.00	5.00	13.27	0.00
7.	सिक्किम	2.78	2.78	2.95	0.68	0.00	0.00
8.	त्रिपुरा	18.82	8.97	7.74	0.00	0.00	0.00
	योग (ख)	**102.00**	**86.49**	**63.40**	**51.07**	**82.28**	**33.45**
	संघ राज्यक्षेत्र						
1	अंदमान और निको.	0.17	0.17	0.35	0.35	0.00	0.00
2	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	दादरा और नागर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5	दिल्ली	48.52	48.52	45.00	45.00	30.00	19.43
6	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	पुडुचेरी	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
8	जम्मू - कश्मीर	5.00	5.00	6.65	6.65	20.00	11.19
9	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (ग)	**57.00**	**57.00**	**52.00**	**52.00**	**50.00**	**30.62**
सकल योग (क+ख+ग)		**982.00**	**938.27**	**593.00**	**413.04**	**684.14**	**322.68**

****